# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

| मिसल संख्याः | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 72/प्रा.पत्र/2010 | 28.07.2010 | 05.03.2020 |

भवंर सिंह आ. नृसिंह, राजपूत निवासी ग्राम भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी। – प्रार्थी

बनाम

1. भूरा आ. छोगा माली निवासी नेगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। का.मु. भंवरी बाई बेवा भूरा माली नेगढ तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी। (मृतक) का. मु. सोसर बाई पुत्री भूरा पत्नी छोटू लाल हाल निवासी आमलदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
2. आवंटन समिति जर्ये तहसीलदार, हिण्डोली।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनानार्थ भू आवंटन) नियम, 1970

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री रविन्द्र सहाय, अभिभाषक।
2. अप्रार्थिया श्रीमती सोसर बाई–एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी सं. 02 की ओर से पेरोकार सरकार।

## –: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर भूरा आ. छोगा माली को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 84 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा ग्राम भवानीपुरा दिनांक 03.11.1977 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2007 को निर्णय पारित कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 03.11.1977 बहाल रखा गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2007 से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 28.07.2010 को निर्णय पारित कर प्रकरण को प्रति प्रेषित किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर भूरा की कायम मुकाम सोसर बाई को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। कायम मुकाम सोसर बाई बावजूद सूचना के

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2011 को उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश प्रदत्त किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को दिनांक 03.11.1977 को भूमि आवंटन किया, उसके बाद सम्वत् 2054 से 2057 तक उसे गैरखातेदारी नहीं दी गई तथा भूमि सिवायचक ही दर्ज रही, भूरा की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी को पक्षकार बनाया गया है। भूरा की पत्नी भंवरी बाई का भी देहान्त हो जाने से उसकी पुत्री सोसर बाई को पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि अप्रार्थी भूरा के कब्जे में कभी नहीं रही तथा इस पर 35 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी का भूमि पर कब्जा नहीं होते हुये कब्जे की झूंठी रिपोर्ट पटवारी से लिखवाकर भूमि का आवंटन करवाया गया है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की है। 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं है। कालू आ. मांगी लाल माली नेगढ़ का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है तथा वह भूरा के वारिसान की श्रेणी में भी नहीं आता है, अतः उसे पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कालू के पक्ष में जो वसीयत लिखी गई है। उसमें खसरा सं. 84 की भूमि का कोई उल्लेख नहीं है। जिससे यह प्रकट है कि आवंटी को आवंटित भूमि का कोई ज्ञान नहीं था। जमीन सीधे ही कालू के नाम अंकित की गई है, जो गलत है। विवादित भूमि को आवंटन करने से पूर्व प्रार्थी के नियमन के अधिकार तय नहीं किये गये है। खातेदारी का नामा. 2004 में खुला है जबकि 14(4) की कार्यवाही वर्ष 2001 से लंबित है। खातेदारी दिये जाने के बाद भी नियम विरूद्व आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.डी. 1990 पेज 465, आर.आर.डी. 2013 पेज 212, आर.आर.डी. 1990 पेज 556 की नजीरे पेश करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 03.11.1977 निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि राजस्व अभिलेखों में आवंटी को गैरखातेदार अंकित करने का कार्य राजस्व कार्मिको का हैं। विवादित भूमि पर पहले अप्रार्थी भूरा एवं उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान काबिज चले आ रहे है। भूरा ने अपनी समस्त सम्पति की वसीयत दिनांक 19.11.1991 को अपने भतीजे कालू के नाम की है तथा वर्तमान में कालू ही भूमि पर काबिज है तथा राजस्व अभिलेख में खातेदार अंकित हो चुका है। कालू को पक्षकार बनाये बिना यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी को आवंटित भूमि पर नियमानुसार दखल दिया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। कालू को बिना पक्षकार बनाये उसके विरूद्व कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। वसीयत के अनुसार कालू भूरा का उत्तराधिकारी है। 14(4) की कार्यवाही 24 वर्ष बाद पेश की गई है, जानकारी आवंटन की कैसे

अति० जिला कलेक्टर
बून्दी (राज०)

प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। वसीयत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने कालू को गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसे अब खातेदारी मिल चुकी है। खातेदारी की जमीन पर 14 (4) की कार्यवाही नहीं चल सकती है। काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। वसीयत में समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत करना लिखा है। जमीन पर कालू का कब्जा है। अतिक्रमी को कोई अधिकार भूमि पर प्राप्त नहीं होते है तथा अतिक्रमित भूमियां आवंटन के लिये उपलब्ध मानी गई है। प्रार्थी ने आवंटन के कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिये उसे एग्रीवड परशन नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पेरोकार सरकार ने विवादित भूमि पर 35 वर्षो से कब्जा काश्त होना प्रकट किया है तथा अपने कथन की पुष्टि में नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2042 से 2051 एवं 2055 पेश की है, लेकिन प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे आवंटन के समय दिनांक 03.11.1977 को (सम्वत् 2034) प्रार्थी का कब्जा काश्त होना प्रकट हो सके, इसके विपरीत आवंटन पत्रावली पर अंकित रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा होना अंकित किया है। आवंटन दिनांक 03.11.1977 करीब 29 वर्ष पुराना है। जिसे निरस्त करवाने हेतु 14(4) की कार्यवाही दिनांक 19.11.2001 को करीब 23 वर्ष बाद पेश की गई है। प्रार्थी ने आवंटन के समय आवंटन अथवा नियमन हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः उसे एग्रीवड परसन नहीं कहा जा सकता है। आर.आर.डी. 1985 पेज 33 के अनुसार अतिक्रमित भूमियां भी आवंटन के लिए उपलब्ध मानी गई है।

वसीयत दिनांक 19.11.1991 आवंटी भूरा आ. छोगा माली द्वारा कालू आ. मांगी लाल के पक्ष में लिखी है, जिसमें चल व अचल सम्पत्ति वसीयत करने के तथ्य अंकित किये है तथा इस वसीयत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने अपने आदेश सं. 1352 दिनांक 01.10.2001 से भूमि ख. सं. 84 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा ग्राम भवानीपुरा पर कालू आ. मांगी लाल माली नेगढ़ को गैरखातेदार दर्ज करने की स्वीकृति दी है, जिसकी पालना में कालू को गैरखातेदार अंकित किया गया है। दिनांक 31.12.2004 को कालू आ. मांगी लाल माली को खातेदारी भी दी जा चुकी है। भूमि का स्वत्व व वसीयत का निस्तारण किये जाने की क्षेत्रता इस न्यायालय को नहीं है। इनको नियमित वाद द्वारा ही तय किया जा सकता है।

प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हम उक्त नियम को यहां उद्रित करना उचित समझते है जो इस प्रकार है–"उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व–प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर रद्व करने की जिला कलेक्टर की शक्ति होगी यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो अथवा यदि आवंटिति ने आवंटन की

अति० जिला कलेक्टर
बून्दी (राज०)

शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया गया हो।'' प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर अपने पक्ष में भूमि का आवंटन करवाया है तथा आवंटी द्वारा कौनसी शर्तो का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नहीं होती है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बलहीन एवं सारहीन होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 03.11.1977 को किया गया भूमि आवंटन आदेश बहाल रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज०)